

## अधिसूचना

एनएबी ने अपनी 34वीं बैठक में भारत के अलावा अन्य देशों में एनपीओपी के अंतर्गत पहले से मान्यता प्राप्त प्रमाणन निकायों (सीबी) के प्रत्यायन विस्तार की अनुमति दी है।

आवेदन के लिए मूल मानदंड और आवश्यक योग्यता आवश्यकताओं को इस अधिसूचना के साथ अनुबंध- I में संलग्न किया गया है। विदेशी प्रत्यायन की मांग करने वाली एसीबी निर्धारित शुल्क और आवश्यक सहायक दस्तावेजों के साथ निर्धारित प्रारूप में कृषि और प्रसंस्कृत खाद्य उत्पाद निर्यात विकास (एपीडा) में आवेदन कर सकती है।

डॉ. तरुण बजाज  
महाप्रबंधक

## विदेशी प्रमाणन हेतु प्रत्यायन में विस्तार के लिए दिशानिर्देश एवं पात्रता मानदंड

### पात्रता मानदंड एवं आवश्यकताएं

1. एनपीओपी के अंतर्गत प्रत्यायन प्रमाणन निकाय विदेशी प्रमाणन के लिए प्रत्यायनके विस्तार की मांग करने हेतु पात्र होंगे।
2. प्रत्यायन विस्तार उन कार्यक्षेत्रों के लिए प्रदान किया जाएगा जो एसीबी प्रत्यायित हैं और यह उनके प्रत्यायन चक्र तक सीमित होंगे। विदेशी प्रत्यायन विस्तार देश/देशों में विशिष्ट होगा।
3. आवेदक एसीबी के पास प्रमाणन गतिविधियों को करने की आवश्यक विशेषज्ञता, उपकरण और अवसंरचना होनी चाहिए और आवेदन के तहत देश / देशों के लिए विदेशी गतिविधि के लिए पर्याप्त संख्या में योग्य और अनुभवी कर्मचारी भी हों।
4. एनपीओपी के अंतर्गत अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए नियंत्रण/निरीक्षण करने की क्षमता हो।
5. आवेदक एसीबी को परिचालन के देश में उद्देश्यपूर्ण और निष्पक्षता और हितों के टकराव के लिए पर्याप्त गारंटी की पेशकश करनी होगी।
6. आवेदक एसीबी को पर्याप्त गारंटी देनी होगी कि भारत को निर्यात किए गए प्रमाणित उत्पाद एनपीओपी और एफएसएस अधिनियम 2006 के तहत सभी मानक आवश्यकताओं को पूरा करते हैं।
7. भारत में एनपीओपी पर लागू समकक्ष करार/मान्यता करार विदेशी प्रमाणन पर लागू नहीं होंगे।

### आवेदन और कार्यान्वयन आवश्यकताओं हेतु प्रक्रिया

1. प्रत्यायन प्रमाणन निकाय (एसीबी) निर्धारित शुल्क के साथ एपीडा को आवेदन करेगा। चूंकि प्रत्यायन विस्तार देश विशिष्ट होगा, अलग-अलग देशों के लिए अलग-अलग आवेदनों की आवश्यकता होगी।
2. आवेदक एसीबी अपने कार्यक्षेत्र के आधार पर विदेशी संचालकों पर लगाए जाने वाले शुल्क संरचना को प्रस्तुत करेंगे और उक्त कोउनकी वेबसाइट पर भी प्रदर्शित किया जाएगा।
3. आवेदन प्राप्त होने पर एपीडा आवेदन और सहायक दस्तावेजों की समीक्षा करेगा और अपने विवेकानुसार, यदि आवश्यक हो तो अनुपालन आवश्यकताओं का निर्धारण करने के लिए एक दिवसीय कार्यालय लेखा परीक्षा भी कर सकता है।
4. एपीडा की अनुशंसा इसकी समीक्षा और आवश्यक प्रत्यायन विस्तार निर्णय के लिए एनएबी को प्रस्तुत की जाएगी।

5. एसीबी जिनको विदेशी प्रत्यायन विस्तार प्रदान किया गया है, वार्षिक निगरानी के दौरान वार्षिक दस्तावेज लेखा परीक्षा के अधीन होंगे। इसके अतिरिक्त एपीडा परिचालन वाले देश में प्रत्येक प्रत्यायन चक्र में कम से कम एक बार साक्षी (विटनेस) लेखा परीक्षा भी कर सकता है। ऐसे विदेशी साक्षी लेखा परीक्षा पर आवश्यक लागत का भुगतान एसीबी द्वारा किया जाएगा।
6. चूंकि एनपीओपी के अंतर्गत भारत में प्रत्यायन प्रमाणन निकायों को विदेशी प्रत्यायन विस्तार दिया जा रहा है, सभी परिचालन दस्तावेज उनके भार कार्यालयों में अनुरक्षित रखे जाएंगे और लेखा परीक्षा और निगरानी के लिए उपलब्ध होंगे।
7. एसीबी विदेशी परिचालन के लिए अलग वार्षिक रिपोर्ट प्रस्तुत करेगा , जिसमें पंजीकृत परियोजनाओं, प्रमाणित परियोजनाओं, जारी टीसी और भारत को निर्यात के लिए अनुमत मात्रा का विवरण होगा।
8. प्रमाणन एनपीओपी आवश्यकताओं के अनुसार किया जाएगा और पूरी प्रमाणन प्रक्रिया ट्रेसनेट के माध्यम से संचालित की जाएगी।

#### **प्रत्येक प्रत्यायन चक्र के लिए प्रत्यायन और विदेशी साक्षी लेखा परीक्षा शुल्क**

1. देशों के प्रति समूह प्रत्यायन विस्तार के लिए 2.5 लाख रुपये
2. साक्षी लेखा परीक्षा और निगरानी समूह के लिए 1.50 लाख रुपये

#### **संयुक्त प्रत्यायन विस्तार के लिए प्रस्तावित देशों का समूह**

1. यूरोपीय संघ
2. यूएसए और कनाडा
3. लैटिन अमेरिकी और कैरिबियन
4. अफ्रीका
5. चीन, ताइवान और जापान
6. मध्य पूर्व और उत्तर पश्चिम एशिया और पड़ोसी देश
7. सीआईएस देश
8. आसियान और अन्य पूर्वी और दक्षिण एशियाई राष्ट्र (सार्क को छोड़कर)
9. सार्क राष्ट्र
10. ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड और अन्य ओशिनिया देश

## एनपीओपी के अंतर्गत बाह्य देशों के लिए प्रत्यायन कार्य-क्षेत्र के विस्तार के लिए आवेदन पत्र

1. प्रमाणन निकाय का नाम
2. एमडी/सीईओ/निदेशक का नाम
3. पता:

फोन नं.:

फैक्स नं.:

ई-मेल:

वेबसाइट:

4. कानूनी स्थिति :
5. प्रत्यायन सं. और प्रत्यायन वैधता :
6. अनुमोदित प्रत्यायन कार्यक्षेत्र :
7. प्रमाणन सेवाओं हेतु आवेदन किए जा रहे देश का नाम :
8. देश में मांगे जा रहे प्रमाणन कार्यक्षेत्र :

9. संगठनात्मक संरचना और कार्मिक

(केवल उनके लिए जिन्होंने उस देश में प्रमाणन सेवाओं के लिए प्रस्ताव किया है। कृपया संगठनात्मक चार्ट, योग्यता, अनुभव, नौकरी विवरण, नियुक्तियों के दस्तावेजी साक्ष्य, प्रशिक्षण और अन्य संबंधित गतिविधियों को कवर करने के लिए आवेदन किए गए कार्य-क्षेत्र के निरीक्षण और प्रमाणीकरण में शामिल कर्मियों की सूची संलग्न करें।)

10. बाह्य देश के लिए लागू कार्य-क्षेत्र के निरीक्षण और प्रमाणन के लिए नीतियां और प्रक्रियाएं (केवल उस देश के लिए लागू जिन्होंने परिचालन भाग हेतु नीतियां, प्रक्रियाएं और प्रारूप और एनपीओपी के तहत कार्य-क्षेत्र जमा किया है)

11. कृपया लागू कार्य-क्षेत्र के प्रमाणीकरण के लिए प्रस्तावित टैरिफ संरचना इंगित करें।

12. एनपीओपी के अंतर्गत या जैविक उत्पादों के लिए किसी अन्य प्रत्यायन के तहत उस देश में या किसी अन्य बाह्य देश में आपके संगठन द्वारा किए गए वर्तमान निरीक्षण और प्रमाणन गतिविधियों का वर्णन करें।

13. एनपीओपी के तहत मौजूदा परिचालन का विवरण

निम्न हेतु परिचालकों की सं.

क. फसल उत्पादन

ख. पशु उत्पाद

ग. मत्स्य पालन

घ. खाद्य प्रसंस्करण और हैंडलिंग / व्यापार

ड. पशु चारा प्रसंस्करण और हैंडलिंग

च. अन्य (निर्दिष्ट करें)

14. पिछले 3 वर्षों के दौरान जारी किए गए निर्यात टीसी और निर्यात की गई मात्रा की संख्या।

15. कृपया आवेदन पत्र के साथ निम्नलिखित संलग्न करें

क. एपीडा, नई दिल्ली के पक्ष में आहरित मांग ड्राफ्ट द्वारा आवेदन शुल्क (एपीडा वेबसाइट पर प्रत्यायन शुल्क संरचना के अनुसार)

ख. कोई अन्य अतिरिक्त जानकारी जिसे आप निर्दिष्ट करना चाहते हैं।

घोषणा

मैं एतद्वारा घोषणा करता/करती हूं कि मैं मैसर्स .....के लिए अधिकृत हस्ताक्षरकर्ता हूं और ऊपर बताई गई जानकारी मेरी जानकारी के अनुसार सही है।

हस्ताक्षर

नाम

पदनाम

दिनांक